क्रमांक 401–2 जी0एस0–I–73/2664

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, तथा हरियाणा, के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 8 फरवरी, 1973 ।

विषय :– आपातकाल स्थिति के परिणाम-स्वरुप पदो में कमी होने के कारण फालतू घोषित हुए सरकारी कर्मचारियों के दूसरे विभागों में खपाये जाने के फलस्वरुप उनकी वरिष्ठता निर्धारित करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 2050 2जी0 एस0 68/19950, दिनांक 19-8-68 (प्रति संलग्न हैं) कि और दिलाऊं जिसमें यह हिदायतें जारी की गई थी कि जो कर्मचारी आपातकालीन स्थिति या खर्च में कमी करने के कारण पदों की संख्या घटाने से अपने विभागों में फालतू हो गये थे और दूसरे विभागों में पुनः नियुक्त किये गये, उनके केस में नये विभाग में नियुक्त होने से जो वरिष्ठता निर्धारित की जानी है वह उस तिथि से निर्धारित की जाये जिस तिथि से वह नये महकमें में अपने पद का कार्यभार सम्भालते है । सरकार ने इस निर्णय पर पुनः विचार किया है और ऐसा करते समय संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 16355–3जी0एस0–62/42251, दिनांक 24–11–62 में जारी की गई हिदायतों को भी ध्यान में रखा है । इन हिदायतों में यह कहा गया था कि जो कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाऐं प्रवरण मण्डल की सिफारिश के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं उन्हें वरिष्ठता आयोग/मण्डल की सिफारिश की तिथि से दी जाये । सरकार के विचार में यह उपजो हर प्रकार से न्यायोचित है तथा उन कर्मचारियों के बारे में भी लागू किया जाये जो कि आपातकालीन स्थिति या खर्च में कमी के कारण पदों की संख्या घटाये जाने पर विभाग में फालतू हो जाते हैं और आयोग/मण्डल की सिफारिश के अनुसार दूसरे विभागों में नियुक्त किये जाते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता भी उसी तिथि के हिसाब से निर्धारित की जायेगी जिस तिथि से कि आयोग/मण्डल ने दूसरे विभागों को उनकी नियुक्ति के बारे में सिफारिश की है न कि उस तिथि के हिसाब से जिस तिथि से वह नये विभागों में पद का कार्यभार सम्भालते है । अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में ऐसे कर्मचारियों को वरिष्ठता इस निर्णय के अनुसार निर्धारित करें ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भी सरकार को भेज दी जाये ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

अतः क्रमांक 401–2 जी0एस0 I–73/2665 दिनांक चण्डीगढ़, जनवरी 1973

एक प्रति महालेखाकार, हरियाणा को हरियाणा सरकार के अशा क्रमांक 2050–2जी0एस0–68/19950, दिनांक 12/19–8–68 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव, राजनैतिक सेवाएं,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को इस विभाग के क्रमांक